(3)

संख्याः– 245 /XXVIII(1)/2010-39/2010 TC

प्रेषक,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
हल्द्वानी, नैनीताल।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2011

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–5232/जी0एम0सी0/बी–2/बजट/मांग/स्वीकृतियां दिनांक 27.01.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में होने वाले विभिन्न व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान संख्या–12 में प्राविधानित बजट से निम्नांकित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में ₹ **3,78,28,000/–** **(₹ तीन करोड़ अठहत्तर लाख अठांइस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल महोदया तदोपरान्त उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि, हजार में)

लेखाशीर्षक तथा मद का विवरण	बजट प्राविधान की धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में अतिरिक्त आवंटित की जाने वाली धनराशि
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05–चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 04–मेडिकल कालेज 0407–राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना			
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	2041	800	340
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2500	1000	1500
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	44187	32100	7838
25–लघु निर्माण कार्य	2500	1250	1250
29–अनुरक्षण	17771	8885	8400
31–सामग्री और सम्पूर्ति	15720	6000	8000
39–औषधि एवं रसायन	29240	10000	10000
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	800	300	500
कुल योग	**114759**	**60335**	**37828**

2– स्वीकृत धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमो का पालन किया जायेगा एवं पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–544/XXVIII(1)/2010-39/2010 दिनांक 26.05.2010 में इंगित शर्तों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त क्रय/अधिप्राप्ति प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार की

जायेगी तथा इस हेतु तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, व्यय करने से पूर्व जिन प्रस्तावों पर शासन अथवा किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके सम्बन्ध में तद्नुसार वित्त नियंत्रक/वित्त अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही आहरण/व्यय किया जायेगा।

4– भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मितव्ययिता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।

5– उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या–12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–आयोजनागत–105–पाश्चात्य शिक्षा पद्वति–04–मेडिकल कालेज–0407–राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–989(P)/वित्त अनुभाग–3/2010–11 दिनांक 18 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड़, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त कुमांऊ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।
4– निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
7– लेखाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9– वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–03/ नियोजन विभाग/एन0आई0सी।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।